



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 31.03.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कुलदीप सिंह गुनावत के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 31.03.2024 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

चोरी की दो मोटरसाइकिल मय पुर्जों के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार थाना बनियाठेर-

आज दिनांक 31.03.2024 को थाना बनियाठेर पुलिस द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्त 1. दानिश, 02. परवेश, 03. आलम को मौ० नई बस्ती धूरे वाली जारत के पास ग्राम बहतरी फाटक से एक मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस ब्लैक कलर व एक मोटर साइकिल अदकटी व मोटर साइकिल के पुर्जे व खोलने बांधने के औजार के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना बनियाठेर पर मु०अ०सं० 98/2024 धारा 411/414/420 भादवि पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

1. दानिश पुत्र रफीशाह निवासी ग्राम मऊ अस्सू थाना बनियाठेर जनपद सम्भल,
2. परवेश पुत्र लईक अहमद निवासी जारई गेट थाना चन्दौसी जनपद सम्भल,
3. आलम पुत्र इलियास निवासी मौ० सरायतरीन थाना हयातनगर जनपद सम्भल ।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

मौ० नई बस्ती धूरे वाली जारत के पास बाहद ग्राम बहतरी फाटक, दिनांक 31.03.2024 ।

बरामदगी का विवरण –

1. एक मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस ब्लैक कलर,
2. एक मोटर साइकिल अदकटी व उसका सामान व औजार ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री सत्यपाल सिंह थाना बनियाठेर जनपद सम्भल,
2. प्रशि० उ०नि० अंकुर तोमर,
3. है०का० जयवीर सिंह,
4. का० विवेक कुमार,
5. का० ब्रिजेश तोमर ।



चोरी की झूठी सूचना देने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना बनियाठेर -

दिनांक 30.03.2024 को रमेश पुत्र होरीलाल निवासी ग्राम अकरौली थाना बनियाठेर जनपद सम्भल द्वारा थाना बनियाठेर पर सूचना दी कि दिनांक 30.03.2024 की सुबह के समय मैं और मेरी पत्नी खेतो पर काम करने गये थे घर पर कोई नहीं था मेरे घर में रखे सोने व चांदी के जेवरात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिये गये है। इस सूचना पर थाना बनियाठेर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम अकरौली में आस पास रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तथा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी तथा जांच के दौरान चोरी हुए सोने व चांदी के जेवरात आवेदक के घर से बरामद किये गये। झूठी सूचना देने पर आवेदक/अभियुक्त रमेश उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में किया गया।



विवरण पूछताछ- आवेदक रमेश उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो आवेदक द्वारा बताया गया मेरी पत्नी ने यह सोने व चांदी के जेवरात किसी दूसरे स्थान पर रख दिये थे, जो मुझे घर में मिल नहीं रहे थे जिसके बाद मैंने चोरी होने के सम्बन्ध में सूचना थाना में दी थी मेरे घर से कोई सोने व चांदी के जेवरात चोरी नहीं हुए थे। मैंने जो सामान चोरी होने के बारे में बताया था वह सामान मेरे घर पर हमारे पास सुरक्षित है।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना बनियाठेर जनपद सम्भल,
2. का0 मोहन।

चोरी के सामान के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

आज दिनांक 31.03.2024 को थाना रजपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 101/2024 धारा 380/411 भादवि में अभियुक्त जुगल किशोर पुत्र लल्लू निवासी ग्राम सिरसा थाना रजपुरा जनपद सम्भल को चोरी के एक बैट्री, एक झटका मशीन के साथ कस्बा गवां व सिरसा के बीच पड़ने वाले बन्द शुदा पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
2. का0 सोमपाल।



जिलाबदर का एक अभियुक्त गिरफ्तार थाना रजपुरा-

आज दिनांक 31.03.2024 को थाना रजपुरा पुलिस द्वारा जिलाबदर के अभियुक्त मोरपाल पुत्र कंछीलाल निवासी ग्राम जिजौडा थाना रजपुरा जनपद सम्भल को तुमरिया खादर मढ़ी से तुमरिया खादर जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर थाना रजपुरा पर मु0अ0सं0 111/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार त्यागी थाना रजपुरा जनपद सम्भल,
2. का0 दीपक निगम।



अवैध शस्त्र के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रजपुरा-

मु0अ0सं0 109/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त प्रशान्त पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम मलिकपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल को एक अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस के साथ उ0नि0 श्री शादाब द्वारा मय पुलिस टीम के मलिकपुर को जाने वाले रास्ते पर स्थित खेल के मैदान में बने मंदिर के सामने से गिरफ्तार किया गया।



थाना सम्भल-

मु0अ0सं0 104/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को अभियुक्त मौ0 अहमद पुत्र मौ0 नबी निवासी बेगम सराय नई मस्जिद के पास थाना सम्भल जनपद सम्भल को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर के साथ उ0नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के वाजिदपुरम बाईपास से बेगम सराय आने वाले रास्ते पर स्थित खंडहरनुमा मकान के पास गिरफ्तार किया गया।



गैंगस्टर एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार थाना गुन्नौर-

मु0अ0सं0 58/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त योगेश उर्फ करूआ पुत्र नंदराम निवासी सिधावली थाना बाह जनपद आगरा को उ0नि0 श्री मुआज खान द्वारा मय पुलिस टीम के नूरपुर तिराहे से टीसीएल जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया।

आपराधित इतिहास अभियुक्त योगेश उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 428/2023 धारा 420/667/468/471/489ए/489बी/489सी/489डी भादवि थाना गुन्नौर जनपद सम्भल,
2. मु0अ0सं0 58/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना गुन्नौर जनपद सम्भल।



अवैध शराब के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना रजपुरा-

1. मु0अ0सं0 108/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त दर्याब पुत्र परशुराम निवासी ग्राम मेहुआ हसनगंज थाना रजपुरा जनपद सम्भल को दो केन में 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ हे0का0 विनोद कुमार शर्मा द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम मेहुआ हसनगंज की तरफ सड़क के पास से गिरफ्तार किया गया।



2. मु0अ0सं0 110/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त हेतराम पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम चारुपुर थाना रजपुरा जनपद सम्भल को 45 पव्वे देशी शराब के साथ का0 संजीव कुमार द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम बरौरा के पास से गिरफ्तार किया गया।

थाना कुढ़फतेहगढ़-

मु0अ0सं0 58/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त रामनाथ पुत्र करन सिंह निवासी बोन्डा फिरोजपुर थाना कुढ़फतेहगढ़ जनपद सम्भल को दो केन में 20-20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ उ0नि0 श्री हातिम शर्मा द्वारा मय पुलिस टीम के ग्राम बोन्डा फिरोजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार थाना जुनावई-

मु0नं0 887/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट में वारण्टी अभियुक्त कल्याण पुत्र नेक्से निवासी अहरोला नौआवाद थाना जुनावई जनपद सम्भल को उ0नि0 श्री जयभगवान सिंह द्वारा मय पुलिस टीम के गिरफ्तार किया गया।
